मानव तस्करी रोधक उपाय: समविष्ट जागरूकता एवं रणनीतियां

11 जनवरी 2022 को 'राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस' के अवसर पर हम सभी के लिए इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता के साथ फिर से विचार करने का समय है और इसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है। यह समस्या केवल यौन या व्यावसायिक शोषण या कुछ खास लाभ के क्षेत्र में जबरन श्रम तक ही सीमित नहीं है, यह अब उससे कहीं आगे निकल गयी है। इसका अन्य प्रकार की तस्करी के साथ विलय हो गया है, चाहे वह नशीले पदार्थ हों, हथियार हों या जाली मुद्राएं हों, जो इसे वैश्विक स्तर पर संगठित अपराधों से जुड़े नेटवर्क के साथ-साथ आतंकी मॉड्यूल से उत्पन्न खतरों की ओर भी धकेल रहा है।

सामाजिक - आर्थिक असमानताएं और अधिकारहीनता स्थानीय दरिंदों के सुनियोजित मंसूबों को निश्चित रूप से सुगम बना रहे हैं लेकिन अब शोषित वर्ग के संकटों को और तीक्ष्ण करते हुवे बड़े भक्षकों द्वारा इसे नियंत्रित और संचालित किया जा रहा है। उनके उन्मूलन के लिए भिन्न प्रकार की रणनीतियों की आवश्यकता होगी। आतंकी हमलों की जांच के दौरान, कट्टर विचारधारा के सृजन के साथ-साथ विदेश में नौकरियों के लालच और भारी भरकम भुगतानों की आड़ के पीछे आतंकी मंसूबों को पल्लवित किये जाने के तथ्य भी दृष्टव्य होते हैं। दूसरे, ऑनलाइन शोषण ने पूरे परिदृश्य को एक अलग ही मोड़ दिया है जहां पीड़ित को यह भी पता नहीं चलता है कि उसका वास्तव में शोषण किया जा रहा है, अपितु वे स्वेच्छा से इस दिशा में सहयोग भी करते हैं। साइबर प्लेटफॉर्म ने भी अब वैश्विक आयाम ग्रहण कर लिया है, जिससे दोषियों का पता लगाना, उन्हें रोकना और दंडित करना काफी मुश्किल हो गया है। तीसरा, पूरी जवाबी कार्रवाई को और अधिक समावेशी और व्यापक बनाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, यह उत्तरोत्तर 'पीड़ितोन्मुख' होना चाहिए और केवल कार्रवाई की खानापूर्ति तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अपितु पीड़ित को फिर से सशक्त बनाने वाले विभिन्न कारकों का एकीकरण सुनिश्चित किया जाना इसका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें पीड़ितों को कानूनी सहायता, उनकी देखभाल और पुनर्वास, स्वास्थ्य लाभ और जीवन को पुर्नस्थापित करना शामिल है ताकि फिर से उन्हें धकेले जाने की किसी भी संभावना से बचा जा सके। चौथा, जब हम पीड़ितोन्मुखी तंत्र की बात करते हैं, तो हमें अपराधियों के उस आधारभूत तंत्र को भी देखना होगा जिस पर वे फलते-फूलते हैं। इस संदर्भ में, विभिन्न देशों के बीच बहु-पक्षीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से समन्वय, क्षेत्रीय सहयोग, एकीकृत वित्तीय टास्क फोर्स की सक्रियता और विभिन्न आतंकवाद-रोधी प्रयास वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मजबूत डेटा बेस, अविरल रणनीति और प्रबुद्ध राजनयिक हस्तक्षेप वास्तविक निगरानी हेतु अपरिहार्य हैं। ये क्षेत्र अभी भी बहुत जटिल हैं। सम्प्रति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष एजेंसियों के सामने एक व्यापक एजेंडा है। पांचवां, वैश्विक समुदाय इस क्षेत्र में भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। लगभग 150 अरब डॉलर के मानव तस्करी के कारोबार का आंकलन इसके व्यापक स्वरूप को दर्शाता है। अतएव वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास एक प्रमुख चुनौति

बनी हुयी है। छठा, मानव व्यापार का यौन व्यापार के संदर्भ में अच्छी तरह से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है, जो कि स्वैच्छिक अथवा मजबूरी वश भी हो सकता है। इसी प्रकार बाल श्रम भी दबाव में हो सकता है या गरीबी से प्रेरित आजीविका अर्जन की गरज के रूप में उभर कर आ सकता है। कतिपय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बालिकाओं का जबरन विवाह भी हो सकता है। क्या कानून के पालनकर्ता 'स्वतंत्रता और स्वेच्छा' की बारिकी को समझते हैं जो कि एक जागरूक सभ्य समाज की मान्यताओं के अनुरूप हो। क्या वे समस्या के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील हैं जबकि कुछ शोधकर्ता कानून लागू करने वालों द्वारा ही शोषण किये जाने की पुष्टि करते हैं। शरणार्थियों, अवैध प्रवासियों और उनके शोषण की समस्या भी एक ठोस नीति पर कार्रवाई करने की मांग करती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण है कि हाल ही में कोविड के प्रकोप से समाज में संक्रमण के परिणामस्वरूप कथित तौर पर बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और कहते है कि भारत में ही लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बाल श्रम में इक्कीस प्रतिशत वृद्धि, लड़कियों के जबरन विवाह में सत्रह प्रतिशत की वृद्धि और इसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े वर्तमान में उद्धृत किए जा रहे हैं। वास्तव में, ये अधिक भी हो सकते हैं। यह सामान्य क्रम में हो रही तस्करी के अतिरिक्त है जिसके अनुमान हमें बताते हैं कि पहले से ही पेशेवर यौनकर्मियों की संख्या 2 करोड़ है और उनमें से लगभग 80% उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्यरत हैं। यह भी एक अनुमान है कि लगभग हर घंटे 4 अबलाओं को इस धंधे में धकेला जाता है और इनमें से 3 लाचारी की शिकार होती हैं।

अब यह मात्र खतरे में पड़े मानवाधिकारों या पीड़ितों की सुरक्षा की बात तक ही सीमित नहीं है अपितु विचारणीय है कि कितने स्लीपर सेल और छद्म युद्ध एजेंटों का सीमाओं के भीतर संचरण किया जा रहा है। यह समस्या अत्यंत ही गंभीर है और एक बहुआयामी खतरे की ओर संकेत करती है।

''जागरूकता'' उत्पन्न करने के लिए जो हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे यथार्थवादी कदम उठा सकते हैं उनमें माता-पिता के साथ-साथ बच्चों के बीच घर पर जागरूकता; स्कूल में जागरूकता और बड़े पैमाने पर समुदाय में जागरूकता के पहलू अहम हैं । यह जागरूकता वास्तविक जीवन के साथ ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में भी होनी चाहिए। हमें सभी संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की जरूरत है। आज कोविड के चलते अधिकांश जीवन शैली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गयी है। इस तरह के प्लेटफार्मों पर कई तरह के छल एवं भुलावे उत्पन्न कर बुद्धि-परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है, इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह भी आवश्यक है कि हम सभी प्रकार की लैंगिक असमानताओं, नफरत और वैमनस्य भरे माहौल, टकराव पूर्ण सोच और सभी प्रकार के अत्याचारों को खत्म करें। कई गैर सरकारी संगठन इसी दिशा में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के साथ-साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लगातार अनुकूल नीतियां बना रहा है और एक सहयोगात्मक ढांचा प्रदान कर रहा है। इन मंत्रालयों की वेबसाइट नियमित रूप

से अद्यतन स्थिति सुलभ कराती हैं। मानव तस्करी रोधी यूनिटों (एएचटीयू) की स्थापना भी एक ऐसा ही सकारात्मक कदम है।

सामूहिक रूप से समरूप भाव में कार्य करने की संस्कृति का अभी भी अभाव होना एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम अभी भी सतही तौर पर काम करते हैं और व्यापक दृष्टिकोण लेने से इनकार करते हैं। केंद्रीय और राज्य एजेंसियां द्वारा, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, आपसी तालमेल के अभाव के कई मामले सामने आते रहे हैं। हमें एक विकसित समाज के रूप में संघीय प्रणाली की सुंदरता की कद्र करनी चाहिए। स्थानीय निहित स्वार्थों द्वारा व्यवस्था को निष्क्रिय किये जाने से रोकना होगा। स्थानीय जांच इकाइयों की कार्य क्षमता का विकास भी इसका एक अभिन्न अंग हैं।

कालांतर में विभिन्न अधिनियमों में कई कानूनी संशोधन किए गए हैं जिनमें आई.टी.पी.ए., जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पोक्सो और यहां तक कि आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. भी शामिल हैं। किन्तु कानूनी तंत्र में परिचालन संस्थाओं के मध्य अभी भी अग्रेतर जागरूकता, उपयुक्त उपकरणों की सुलभता के साथ साथ कौशल विकास के मामले में भी उन्हें और अधिक सक्षम करने की आवश्यकता है। फोरेंसिक साक्ष्य के विभिन्न क्षेत्रों, साइबर आर्किटेक्चर, वीडियो परीक्षण, विभिन्न वैश्विक एजेंसियों से सुराग का संग्रह तथा कानूनी परीक्षणों के मापदंडों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल के विकास के पहलुओं पर लगातार ध्यान दिए जाते रहने की आवश्यकता है।

हमें अपने प्रयासों को एक मिशन के रूप में तीव्र करने की जरूरत है क्योंकि यर्थात यह है कि अभी तक किसी भी बड़े सिंडिकेट या नेटवर्क का भंडाफोड़ अथवा खात्मा नहीं किया गया है। केवल छुटपुट व्यक्तियों को पकड़ा गया है। दुर्भाग्यवश ऐसे मामलों में भी सजा की दर एक प्रतिशत से कम ही रही है।

हमें इस मिशन को पूर्ण गम्भीरता से लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य को स्वयं मनुष्य के विरुद्ध ही इस्तेमाल किया जाये। हम पहले से ही 'आत्मघाती हमलावरों' के साक्षी रहे हैं और वर्तमान में दुनिया भर में भयावह जैविक खतरा अभी भी मंडरा रहा है।

[डॉ एपी माहेश्वरी - पूर्व महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं महानिदेशक, सी.आर.पी.एफ.]